जनसत्ता

फिर जगी उम्मीद

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रोजाना सुनवाई शुरू होने की घोषणा से स्वाभाविक ही एक बार फिर इस मसले के हल की उम्मीद जगी है। दरअसल, तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विभिन्न पक्षकारों के बीच बातचीत के जरिए इस विवाद का हल निकालने की कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि निर्णय होने तक अदालत इस मसले पर रोज सुनवाई करेगा। हालांकि जब पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पूर्व न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन किया था, तभी विभिन्न पक्षकारों ने कह दिया था कि आपसी बातचीत से इस मसले का हल संभव नहीं है, क्योंकि कई बार बातचीत के जरिए हल निकालने का प्रयास हो चुका है और हर बार विफलता ही हाथ लगी है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय चाहता था कि अयोध्या का मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और उसका समाधान सर्वसम्मति से निकाला जा सके, तो बेहतर है। मगर वह प्रयास बेनतीजा रहा। दरअसल, रामजन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कई मामले दर्ज हैं और विभिन्न अदालतों में इन पर सुनवाई हो चुकी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नौ साल पहले फैसला सुनाया था कि विवादित भूमि का बराबर-बराबर हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांट दिया जाए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद चूंकि जन आस्था से जुड़ा है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की मंशा भी शुरू से यही रही कि इसका हल विभिन्न पक्षकारों के बीच आपसी बातचीत के जरिए निकल सके, तो बेहतर है। मगर इस मुद्दे को इतना राजनीतिक रंग दिया जा चुका है कि बातचीत अक्सर गलत दिशा में मुड़ जाती रही है और सभी पक्ष अपने-अपने दावे पर अड़े रहते आए हैं। ऐसे में ऐतिहासिक साक्ष्यों को खंगालना, उनकी पुष्टि करना और विभिन्न दावों की हकीकत समझना खासा उलझन भरा काम रहा है। फिर इस संबंध में अलग-अलग अदालतों में ढेर सारे मुकदमे दायर थे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सभी मामलों को एक जगह इकट्ठा करके लगातार सुनवाई की जाए और जल्दी नतीजे पर पहुंचा जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन सभी मामलों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन और उन पर सुनवाई के बाद 2010 में विवादित भूमि को तीनों पक्षों में बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था।

जब इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, तो उसने भी नए सिरे से जानकारियां जुटाने का प्रयास किया। वहां इस मामले की सुनवाई पिछले साल से चल रही है और इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद सर्वोच्च अदालत फैसले के काफी करीब है। इस मामले में सभी पक्षकारों के अलावा देश भर में विभिन्न क्षेत्रों के नामचीन लोगों से भी राय ली जा चुकी है। अच्छी बात है यह कि इस मामले के सभी पक्षकार भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसले मानने को तैयार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले के अनेक पहलू हैं और वह उन सभी पहलुओं पर बेहद गंभीर है। चूंकि यह विवाद काफी लंबा खिंच चुका है, इसलिए आम लोगों की भी अपेक्षा यही है कि इसका निपटारा जल्दी हो जाना चाहिए। इसलिए उम्मीद जगी है कि सर्वोच्च न्यायालय में चलने वाली यह सुनवाई आखिरी होगी और उसके बाद जो भी निर्णय आएगा, वह अंतिम और सर्वमान्य होगा।

कारोबार का युद्ध

जून के आखिरी हफ्ते में जापान के शहर ओसाका में जी-20 देशों की शिखर बैठक के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध खत्म होने की जो उम्मीदें बंधी थीं, वे अब धूमिल पड़ती नजर आ रही हैं। तब अमेरिका पहुंचते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि व्यापार युद्ध समाप्त करने के लिए चीन के साथ नए सिरे से वार्ता शुरू होगी। वार्ता शुरू भी हुई। लेकिन अब ट्रंप ने फिर ऐसा कदम उठा लिया जो दोनों देशों के बीच व्यापार गतिरोध को खत्म करने के बजाय और बढ़ाएगा ही। ट्रंप ने चीन से होने वाले तीन सौ अरब डॉलर के आयात पर दस फीसद शुल्क और लगा दिया है। यह आयात शुल्क पहले से चले आ रहे पच्चीस फीसद आयात शुल्क के अतिरिक्त है। यह एक सितंबर से लागू हो जाएगा। अमेरिका के इस कदम से यह तो साफ है कि वह चीन को सबक सिखाने पर उतारू है और किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। सवाल है कि क्या अमेरिका के इस अड़ियल रुख और संरक्षणवाद की नीति के सामने चीन झुकेगा? ऐसा भी नहीं कि अमेरिका और चीन दोनों ही इस हकीकत को नहीं समझ रहे हैं कि दोनों देशों के बीच चल रही कारोबारी लड़ाई दुनिया की अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल सकती है। फिर भी संरक्षणवाद की नीतियों पर चलने से कोई बाज नहीं आ रहा। यह गंभीर संकट का संकेत है।

व्यापार युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। लेकिन हाल में शंघाई में वार्ता के दौरान उपजे गतिरोध से अच्छे संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिका ने ताजा गतिरोध के लिए चीन पर ठीकरा फोड़ा है और कहा है कि वह अपने वादों से मुकर रहा है, इसलिए उस पर शुल्क लगा कर सबक सिखाना जरूरी है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की शुरुआत पिछले साल तब हुई थी जब अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले इस्पात और अल्युमीनियम पर भारी आयात शुल्क लगा दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगा कर संदेश दिया कि वह भी कारोबारी जंग में पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तब तर्क दिया था कि चीनी आयात के कारण अमेरिकी कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और अमेरिका को पौने चार सौ अरब डॉलर सालाना का नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए इसकी भरपाई चीन से ही की जानी चाहिए।

पिछले दो साल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से संरक्षणवादी नीतियों की खुल कर पैरवी की है और अमेरिकी उद्योगों को बचाने के नाम पर चीन, भारत, कनाडा और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ जो कारोबारी रुख अपनाया है, वह चिंताजनक है। इस वक्त दुनिया में फिर से मंदी का खतरा गहरा रहा है। ज्यादातर देश अब महसूस कर रहे हैं कि वक्त रहते अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों का विरोध नहीं किया गया तो वैश्विक कारोबार पर अमेरिकी दादागीरी हावी हो जाएगी और दुनिया के कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। ट्रंप की निगाहें इस समय अगले राष्ट्रपति चुनाव पर हैं और फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए वे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे अमेरिकी जनता के भीतर उनकी एक मजबूत राष्ट्रपति की छवि बने। ईरान के साथ युद्ध, चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार युद्ध ऐसे ही कदम हैं।

कल्पमेधा

जो शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है वह अपने शत्रु पर अपूर्ण विजय ही प्राप्त करता है।
-मिल्टन

आंकड़ों की सुरक्षा और चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

उपभोक्ताओं के निजी डेटा लीक होने पर फेसबुक पर भारी जुर्माना लगने के बाद अब भारत को भी अपने नागरिकों के हित में डेटा सुरक्षा और डेटा स्थानीकरण पर नया कानून बनाने की जरूरत है। जिस तरह से फ्रांस ने अमेरिकी सरकार के भारी विरोध के बावजूद फेसबुक, एपल और अमेजन जैसी कंपनियों पर डिजिटल कर लगाए हैं उसी प्रकार भारत सरकार को भी भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा इस्तेमाल करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर डिजिटल कर लगाने के बारे में विचार करना होगा।

किसी भी देश के लिए उसके उपभोक्ताओं से संबंधित आंकड़ों (कंज्यूमर डेटा) का महत्त्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई एक सौ सैंतीस करोड़ आबादी वाला भारत तेजी से बढ़ती आर्थिक अहमियत के कारण आंकड़ों की नई दुनिया में लाभप्रद स्थिति में है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरूरी आंकड़े और भारतीय उपभोक्ताओं से संबंधित संवेदनशील जानकारियां भारत में ही स्टोर की जाएं। हाल में तकनीकी क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 के बीच भारतीय कंपनियों के डेटा चोरी होने से इन कंपनियों को बारह करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत से डेटा चोरी से कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है और इनका घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है।

गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिका ने अपने नागरिकों के निजी डेटा लीक करने के मामले में फेसबुक पर करीब चौंतीस हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद पूरी दुनिया में डेटा सुरक्षा एवं डेटा स्थानीकरण के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। दुनिया के कई विकासशील देशों में इन मुद्दों पर नए कानून बनाए जाने की तैयारी भी हो रही है। पिछले दिनों टिक टॉक के स्वामित्व वाली चीन स्थित कंपनी बाइट डांस ने भारत में एक डेटा केंद्र खोलने का फैसला किया है, जो देश में किसी विदेशी कंपनी का भारत में इस तरह का पहला कदम है। अब फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर भारत में डेटा केंद्र स्थापित करने का दबाव बढ़ गया है। भारत सरकार द्वारा डेटा स्थानीकरण पर प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक के मद्देनजर वैश्विक कंपनियों द्वारा भारत में डेटा केंद्र बनाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

जून के आखिर में जापान के शहर ओसाका में जी-20 सम्मेलन के दौरान डेटा स्थानीकरण और डेटा सुरक्षा पर अपना रुख साफ करते हुए भारत ने कहा कि डेटा कच्चे तेल की तरह एक ऐसी संपत्ति है जिस पर विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। साथ ही डेटा पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के हिसाब से बातचीत की जानी चाहिए। जी-20 सम्मलेन के इतर भी भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वार्ता में भी डेटा स्थानीकरण के मुद्दे पर पीछे न हटने की बात कही थी। वस्तुतः डेटा स्थानीकरण किसी देश के नागरिकों और उपभोक्ताओं से संबंधित डेटा को उसी देश की सीमाओं के भीतर संग्रहित करने की प्रक्रिया है। इससे उस देश की सरकार का डेटा पर बेहतर नियंत्रण रहता है और डेटा का दुरुपयोग भी रुकता है।

पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने दिशानिर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि भारतीय उपभोक्ताओं के लेन-देन के डेटा का भारत में ही रखे जाएंगे। यदि भारत से संबंधित उपभोक्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया विदेश में होती है तो वहां उससे संबंधित डेटा को एक कारोबारी दिन या चौबीस घंटे के भीतर भारत भेजा जाना जरूरी होगा, ताकि भारतीयों से संबंधित लेन-देन के डेटा को केवल भारत में ही रखा जा सके। वस्तुतः नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के तहत भविष्य में डिजिटल कारोबार तेजी से बढ़ेगा और जिस देश के पास जितना ज्यादा डेटा संरक्षण होगा, वह देश आर्थिक रूप से उतना मजबूत होगा।

जापान के शहर फुकुओका में आयोजित जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और दुनिया के शीर्ष वित्तीय नीति निर्माताओं की शिखर बैठक में डिजिटल वैश्विक उद्योग-कारोबार पर डिजिटल कर लगाने को लेकर आम सहमति बनी। इस सहमति के मद्देनजर डिजिटल वैश्विक व्यापार करने वाले उद्योग-कारोबार पर एक सामान्य कराधान व्यवस्था लागू की जा सकेगी, जो सभी देशों में समान रूप से स्वीकार्य हो सकेगी। दुनिया के अधिकांश देश डिजिटल कारोबार करने वाले उद्यमों पर डिजिटल टैक्स लगाने का समर्थन कर रहे हैं लेकिन अमेरिका सहित दुनिया के कुछ विकसित देशों की प्रमुख डिजिटल कंपनियां इस नए प्रस्ताव के खिलाफ हैं। स्थिति यह है कि विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर डिजिटल कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर बचाने के लिए अपने वास्तविक कारोबार का एक बड़ा हिस्सा कम

कर लगाने वाले देशों में हस्तांतरित करती हैं। इससे उन देशों को राजस्व की भारी हानि होती है जहां वास्तविक कारोबार किया जाता है। इसलिए जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों द्वारा पारित ताजा प्रस्ताव या तो ऐसे अर्जित लाभ पर एक साझा न्यूनतम टैक्स लागू कर सकता है या फिर यह ऐसी अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाई जा सकती है जिससे ऐसे अर्जित लाभ पर उन देशों पर कर लगेगा जहां वास्तविक राजस्व प्राप्ति हुई है। जी-20 के तहत 2020 तक डिजिटल कर सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव लागू हो जाने पर दुनिया में डिजिटल कारोबार के भविष्य की दिशा बदल जाएगी। वैश्विक डिजिटल कारोबार पर एक उपयुक्त कर लगाने से भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई विकासशील देशों को फायदा होगा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में डेटा सुरक्षा और डेटा स्थानीकरण से जहां अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, वहीं उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेजी से डिजिटल कारोबार बढ़ा रही हैं। भारतीय मध्यम वर्ग की ताकत पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ऐसे में बढ़ते हुए वैश्विक डिजिटल कारोबार का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ा सकेगा। हाल ही में 'डिजिटल इंडिया : टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म ए कनेक्टेड नेशन' में यह तथ्य उभर कर आया है कि भारत डिजिटलीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से डिजिटल कारोबार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या देश की करीब आधी आबादी के करीब हो गई है और इस परिप्रेक्ष्य में भारत दुनिया में अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ चुका है।

भारत में वैश्विक डिजिटल कारोबार बढ़ने के और भी कई कारण हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014 के बाद छत्तीस करोड़ जन-धन खाते खुले हैं और पच्चीस करोड़ रुपे कार्ड जारी हुए हैं। पिछले पांच साल में मोबाइल बैंकिंग से लेन-देन पैंसठ गुना बढ़ा है। खासतौर से आधार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण भारत में डिजिटल क्रांति और तेज हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद एक करोड़ औद्योगिक एवं कारोबारी इकाइयां कर-भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रही हैं। उपभोक्ता समझ गए हैं कि डिजिटल बाजार उनके लिए कितनी लाभप्रद है।

उपभोक्ताओं के निजी डेटा लीक होने पर फेसबुक पर भारी जुर्माना लगने के बाद अब भारत को भी अपने नागरिकों के हित में डेटा सुरक्षा और डेटा स्थानीकरण पर नया कानून बनाने की जरूरत है। जिस तरह से फ्रांस ने अमेरिकी सरकार के भारी विरोध के बावजूद फेसबुक, एपल और अमेजन जैसी कंपनियों पर डिजिटल कर लगाए हैं उसी प्रकार भारत सरकार को भी भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा इस्तेमाल करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर डिजिटल कर लगाने के बारे में विचार करना होगा। तभी डेटा स्थानीकरण भविष्य में भारत के लिए कच्चे तेल के भंडार की तरह उपयोगी होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रभावी योगदान भी दे पाएगा।

निराला वाद्यवृंद

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

किसी प्रतिष्ठित अस्पताल के नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित रेडियोलॉजी विभाग में एमआरआइ मशीन के प्रकोष्ठ में प्रवेश करने से पहले कौन सोच सकता है कि अंदर वाद्यवृंद प्रस्तुति होगी। वाद्यवृंद भी कैसा! आकाशवाणी के वाद्यवृंद जैसा नहीं जिसमें सितार, जलतरंग, वायलिन, बांसुरी, तबला और मृदंग जैसे सुपरिचित वाद्य हों। यहूदी मेन्युहिन द्वारा निर्देशित फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जैसा भी नहीं, जिसमें साजों की संख्या से ही श्रोता-दर्शक आतंकित हो जाएं। यह वाद्यवृंद निराला है। पहले सुनी हुई तरह-तरह की ध्वनियों का अद्भुत संगम। ऐसा संगम, जिसमें इंसानी संगीत के साजों के स्वर-ताल प्रकृति के बदलते स्वरूपों के नितांत मौलिक संगीत में घुलमिल जाते हैं। शायद असाध्य रोगों की आशंका से सहमे हुए श्रोता के दिल की धड़कनें भी इस अनोखे वाद्य संगीत में घुली-मिली रहती हैं। लेकिन इस नादब्रह्म को सब कहां पहचान पाते हैं!

इस निराले संगीत को पसंद करने की मनःस्थिति बने भी तो कैसे, जब गंभीर बीमारियों की पहचान और निदान मात्र घोषित लक्ष्य हों। सुर और ताल के इस अद्भुत संयोग का आनंद लेने की पहली शर्त है कल और काल की चिंता से मुक्ति। लेकिन आशंकित, कराहते रोगी को तो घड़ी, अंगूठी आदि आभूषण उतारते ही उस दिन का डर सताने लगता है 'जब लाद चलेगा बंजारा'! यह हताश मनःस्थिति और सघन हो जाती है जब सामान्य कपड़े उतार कर, एक चोगा पहना कर, अर्थी जैसे लंबे से तख्ते पर लिटा कर निर्देश दिया जाता है कि अब सांस बांध कर रखो। मशीन के अंदर धकेल दिए जाने के पहले मिला यह आश्वासन झूठा-सा लगता है कि प्रकोष्ठ के अंदर परेशानी होने पर घंटी बजा कर ऑपरेटर को सचेत कर सकते हैं। इधर रोगी के मन में डर की घंटी बजनी शुरू होती है, उधर वह अर्थीनुमा तख्ता हरकत में आ जाता है। विद्युत शवदाह के धधकते प्रकोष्ठ में भस्म होने के लिए आगे सरकती अर्थी की याद दिलाता तख्ता जैसे ही एमआरआइ प्रकोष्ठ के अंदर दाखिल होता है, वाद्यवृंद उठान लेता है- पास आ रहे फौजी बूटों की ठक-ठक ध्वनि के रूप में। फिर वह 'ठक-ठक' ताबूत को जड़ने के लिए ठोंकी जाती आखिरी कीलों की भयावह ध्वनि में बदल जाती है।

कौन-सी ध्वनि कितनी देर बजी, इसका अनुमान कौन लगाए, जब समय खुद सहम कर थम गया हो। तभी ताबूत पर ठुकती कीलें काली घटाओं से बेतहाशा बरसती बूंदों में बदल जाती हैं। तड़-तड़-तड़ की जोरदार आवाज प्रकोष्ठ के अंदर बादल-फोड़ वृष्टि का आभास कराए, इसके पहले ही अचानक मरघट की शांति छा जाती है। इस बार रीं-रीं-रीं की ध्वनि आती है। कोई नौसिखिया सारंगी या वायलिन बजाना सीख रहा है। पर वाद्यवृंद का कोई स्वर, कोई ताल देर तक नहीं टिकता। सारे कलाकारों को समान अवसर देने वाला सहृदय निर्देशक फिर इंसानी साज छोड़ कर प्रकृति को इशारा करता है। अब सैकड़ों मेंढ़क जोर से टर्राने लगते हैं और प्रकोष्ठ के अंदर फैले धुंधलके में हजारों झींगुर एक साथ बोल पड़ते हैं। मेंढ़कों और झींगुरों की जुगलबंदी वेगवती होती जाती है, जैसे किसी संगीत सभा में प्रख्यात सितारवादक और मशहूर तबलावादक के बीच श्रोताओं को मुग्ध कर लेने की होड़ मच गई हो।

दुनिया मेरे आगे

लेकिन चरमोत्कर्ष के पहले ही क्षण भर की सघन चुप्पी छा जाती है। इस बार कोई पत्थर का कारीगर बिजली की धारदार मशीन से संगमरमर काटने लगता है- किर्र-किर्र-किर्र। पिघले सीसे की तरह कानों में गिरती इस ध्वनि का आघात कम करने के लिए सीमेंट बालू के मिश्रण को जमीन पर अपनी करनी से फैलाता हुआ राजमिस्त्री आ जाता है। हल्की किर्र-किर्र अब भी बनी रहती है। पर क्षण भर में फिर छा जाती है सघन शांति। अरे! क्या यह मशीन चुपचाप भी काम कर सकती है? लेकिन तभी दूर से सीटी देते हुए रेल के पुराने स्टीम इंजन के आने की छुक-छुक ध्वनि लगातार तेज होती जाती है। और तेज, और तेज।

इंजन और डिब्बे समवेत स्वर में दुहरा रहे हैं- चल कलकत्ते छह-छह पैसे, चल कलकत्ते छह-छह पैसे। शोर बढ़ता जाता है। गाड़ी किसी पुल से गुजरते हुए धड़क-धड़क चीखने लगती है। श्रोता को लगता है कि उसे रेल की पटरी पर बांध दिया गया है और यह तूफान मेल उसे कुचल डालेगी। पर एक बार फिर अचानक पूर्ण विराम। चीं-चीं करके ब्रेक लगने तक की भी आवाज नहीं। और यह लो, ताबूत में कीलें फिर से ठोंकी जाने लगती हैं। पांच-छह कीलें। बस! फिर विराम। कुछ क्षणों के बाद वह अर्थीनुमा तख्ता अपने सवार के साथ वापस बाहर सरकने लगता है। प्रकोष्ठ के अंदर का धुंधलका पीछे छूट जाता है। बाहर के प्रकाश में रोगी के दिल की बढ़ी हुई धड़कन काबू में आने लगती है। कानों में आवाज आती है- 'बस हो गया सर'। अर्थी पर लेटा शरीर तो फिर हरकत में आ जाता है, लेकिन मन में एमआरआइ वाद्यवृंद के अद्भुत स्वरों का निनाद गूंजता रह जाता है।

विशेष दर्जा क्यों

संघीय भारत के हर राज्य को पूर्ण राजनीतिक संरक्षण देकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना केंद्र सरकार का दायित्व है। पाकिस्तान सहित कश्मीर का हर अलगाववादी घटक यह समझ ले कि भारत पाकिस्तान का भौगौलिक विभाजन मुस्लिम पाकिस्तान व धर्म निरपेक्ष हिंदुस्तान के रूप में हुआ था। यहां किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष को विशेष दर्जा या सुविधा देना शेष राष्ट्र के नागरिकों के साथ अन्याय की श्रेणी में आता है। अगर कश्मीर को मिले विशेषाधिकार के बदले राष्ट्र को अमन चैन मिलता, वहां हर भारतीय अपने आपको सुरक्षित पाता तो भारत की उदारता सहनीय होती। लेकिन उदारता के बदले पाक पोषित षड्यंत्रों से राष्ट्र की एकता-अखंडता को चुनौती देते षड्यंत्रों, आतंकी हमलों को क्यों और कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? सवाल है कि खालिस्तान की मांग को सख्ती से दफन कर देने वाला राष्ट्र कश्मीर को और अतिरिक्त विशेषाधिकार देने की मेज पर क्यों बैठे? भारत के क्षेत्र विशेष के संप्रदाय विशेष को विशेषाधिकार या भूखंड निर्बाध क्यो दें? एक क्षेत्र विशेष के संप्रदाय विशेष की जातीयता आधारित मांग विखंडन का एक और घृणित लहुलुहान दरिया बहा देगी।

● *अरविंद पुरोहित, रतलाम।*

अपराधियों की राजनीति

भारतीय के लोकतंत्र में कितने शर्म और ग्लानि की बात है कि जो जनप्रतिनिधि देश की जनता की हिफाजत करने, उसके कष्टों के निवारण करने और खुशी-समृद्धि बढ़ाने के लिए के लिए चुना जाता है, वही बेटी तुल्य एक नाबालिग लड़की से बलात्कार जैसा घिनौना कुकृत्य कर बैठता है! और तो और उस बलात्कारी जनप्रतिनिधि के पक्ष में पुलिस, कोर्ट-कचहरी, जेल के अधिकारी पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। पुलिस पीड़िता की रिपोर्ट तक नहीं लिखती! उलटे उसके पिता को उठा कर जेल में बंद कर देती है जहां उसके संरक्षण में बलात्कारी का सगा भाई और अन्य गुंडे उस लड़की के पिता की इतनी बर्बर तरीके से पिटाई करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। अंततः उस पीड़िता को न्याय तब मिलता है जब वह मुख्यमंत्री के दरवाजे पर स्वयं पर तेल छिड़क कर आग लगा लेती है।

ये है भारतीय लोकतंत्र के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का क्रूर चेहरा। यह कितनी बार लिखा जा चुका है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं, बलात्कारियों, माफियाओं, हत्यारों, दंगा फैलाने के कुत्सित प्रयास करने वालों ने ग्राम पंचायत से लेकर भारतीय संसद तक में पैठ बना ली है। जब तक इन अपराधियों और माँफिया तत्वों का राजनीति से सफाया नहीं होगा, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की कोई सार्थकता नहीं है। इस लोकतंत्र को ग्रहण लग चुका है।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

संकट में रोजगार

देश में आए दिन बड़ी-बड़ी कंपनियों से नौकरियां जाने की खबरें आ रही हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। कुछ दिन पहले एक खबर आई कि वाहन कलपुर्जे उद्योग में दस लाख नौकरियां जाने का अंदेशा है। कई जगहों पर तो छंटनी भी शुरू हो गई है। इसी तरह मोबाइल हैंडसेट उद्योग में साल भर में ढाई लाख नौकरियां चली गईं। रिटेल कारोबार, वितरण और निर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा छंटनी हुई है। सरकारी कारखानों में भी हालात संतोषजनक नहीं हैं।

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

पिछले दिनों बीएसएनएल के पास कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसे नहीं थे। इसी तरह जेट एअरवेज की भी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। देश में आने वाले समय में बेरोजगारी भयावह रूप धारण कर सकती है।

● *मोहम्मद आसिफ, जामिया नगर, दिल्ली*

बेतुका बयान

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 35ए के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को हाथ लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35ए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वे हाथ ही नहीं सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद देश में उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। इस बयान के बाद लोग उन्हें पाकिस्तानी प्रेमी भी कहने लगे हैं। महबूबा मुफ्ती के इस बयान से तो एक बात साफ हो गई कि वे किसी हालात में 35ए को खत्म नहीं होने देना चाहतीं। अगर यह धारा खत्म हो गई तो सबसे ज्यादा खतरा आतंकी संगठनों को होगा जो कश्मीर में अपनी पैठ बना चुके हैं। सवाल है कि अगर धारा 35ए खत्म कर दी जाती है तो महबूबा मुफ्ती को इससे क्या डर है? क्या वे आतंकवादियों की हमदर्द हैं?

● *योगेंद्र गौतम, उन्नाव*

ट्रंप का शिगूफा !

भारत जब आजाद हुआ तो भारत की सत्ता छोड़ कर जा रहे अंग्रेजों और भारत के स्वार्थी नेताओं ने देश विभाजन का दंश और कश्मीर विवाद को जन्म दिया जो आज तक चला आ रहा है। इसकी वजह से ही कश्मीर में आतंकवाद खूब फला-फूला। भारत ने निरंतर इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झूठ बोला कि भारत के प्रधानमंत्री ने कश्मीर विवाद में उनसे मध्यस्थता करने को कहा है। इस बयान ने न सिर्फ भारतीय राजनीति में बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भी हलचल पैदा कर दी। भारत ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट किया कि कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान ही वार्ता करेंगे, इसमें किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। आज भारत एक शक्तिशाली देश और हर आंतरिक समस्या का समाधान खुद कर सकता है। ट्रंप को अगर विवाद ही सुलझाने है तो ईरान, चीन, अफगानिस्तान, उत्तर कोरीया, मैक्सिको आदि के साथ ही विवाद सुलझाए।

● *सुनील कुमार सिंह, मेरठ*

नई दिल्ली